रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2005/भाद्र 25, 1927
No. 393] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2005/BHADRA 25, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 589(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 15 मार्च, 2005 में, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं0 सा.का.नि.172 (अ), तारीख 15 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 17 मार्च, 2005 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27, धारा 64, धारा 110 और धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 है ।

(2) जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (न) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(प) " बैटरी चालित यान " से ऐसा यान अभिप्रेत है जो सड़क पर प्रयोग के लिए अनुकूल हो, अनन्य रूप से विद्युत मोटर से शक्ति मिलती हो और जिसे कर्षण ऊर्जा, यान में स्थापित कर्षण बैटरी द्वारा अनन्य रूप से दी जाती है ;

परन्तु यह कि यदि नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण करने वाले अभिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तें प्राधिकृत और सत्यापित की जाती हैं. तो बैटरी चालित यान को मोटर यान नहीं समझा जाएगा ।

(i) मोटर की तीस मिनट शक्ति 0.25 किलोवाट से कम है ;

(ii) यान की अधिकतम गति 25 कि.मी. प्रति घंटा से कम है ;

(iii) पेडल सहायता वाली ऐसी बाई-साइकिल जो - (क) विद्युत मोटर सहायक से सज्जित है और उसकी तीस मिनट शक्ति 0.25 किलोवाट से कम है, जिसका आउटपुट प्रभावीरूप से कम हो जाता है और अंत में, जैसे ही यान की गति 25 कि.मी./ घंटा पर पंहुचती है, या कभी न कभी, यदि साइकिल चालक पेडल चलाना रोकता है, विच्छेद हो जाता है ; और (ख) उपयुक्त ब्रेक और प्रति परावर्तकता युक्तियों अर्थात् एक सफेद परावर्तक सामने और एक लाल परावर्तक पीछे से फिट किया गया है ।

स्पष्टीकरण - मोटर की तीस मिनट शक्ति को ए आई एस :049: 2003 में परिभाषित किया जाता है और सत्यापन की पद्धति ए आई एस : 041: 2003 में विहित है जब तक

कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते ;

(फ) " पावर टिलर " से एकल धुरी युक्त एक कृषि मशीनरी अभिप्रेत है, जो भूमि तैयार करने के लिए प्रयोग की जाती है और यात्रा की दिशा और फील्ड प्रचालन के लिए इसका नियंत्रण इसके पीछे चलने वाले प्रचालक द्वारा किया जाता है । इस उपस्कर में बैठने की व्यवस्था हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकती और जब इसे ट्रेलर के साथ जोड़ा जाए तो इसका प्रयोग माल के परिवहन के लिए किया जा सकता है । ट्रेलर के साथ जुड़े होने पर पावर टिलर की अधिकतम गति 22 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी । ट्रेलर के साथ जुड़े होने पर पावर टिलर की अधिकतम वहन क्षमता 1.5. टन से अधिक नहीं होगी ।' ।

3. उक्त नियमों के नियम 4 में, -

(क) मद सं0 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) मद सं0 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

" 11. धारा 28 के खंड (ट) के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा विहित कोई अन्य दस्तावेज या दस्तावेजों " ।

4. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 24 के उपनियम (4) के अंत में "ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के नियम 25 में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

" परन्तु उक्त अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता राज्य सरकार द्वारा यथा विहित ऐसा मानदंड पूरा करने के अध्यधीन होगी जिसे अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए वार्षिक आधार पर यथाविहित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ।" ।

6. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मांस पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 30 के उपनियम (2) में " ऐसी अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर" शब्द अंत में अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

7. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 35 के उपनियम (1) में " प्ररूप 17 में " शब्दों और अंकों के पश्चात् " ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

8. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 46 के उपनियम (2) में अंत में " ऐसी अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर" शब्द अंत में अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

9. उक्त नियम के नियम 48 में ,-

(क) " संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" शब्दों के पश्चात् " ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर" शब्द जोड़े जाएंगे ;

(ख) परन्तुक के अंत में " ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर" शब्द जोड़े जाएंगे ।

10. उक्त नियमों के नियम 50 में, उपनियम (1) के खण्ड (vi) में, -

(क) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह भी कि पावर टिलर की रजिस्ट्रीकरण प्लेट का आकार 285 X 45 मि.मी. होगा और यह आगे प्रदर्शित की जाएगी । इसके अतिरिक्त पावर टिलर के

जब ट्रेलर जुड़े होने की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्लेट का आकार 200 X 100 " मि.मी. होगा और यह पीछे प्रदर्शित की जाएगी ।

(ख) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, इस प्रकार अंत:स्थापित तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित् किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि मोटर साइकिल की दशा में अगली रजिस्ट्रीकरण प्लेट के लिए 285 X 45 मि.मी. का आकार अनुज्ञात किया जाएगा ।"

11. उक्त नियमों के नियम 51 की सारणी में क्रम सं0 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं0	यान का वर्ग		विमाएं निम्नलिखित से कम नहीं		
8.	पावर टिलर	अगले अक्षर और अंक	15	2.5	2.5
9.	पावर टिलर से जुड़े ट्रेलर	पिछले अक्षर और अंक	30	5	5

12. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 62 के उपनियम (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (ग) इन नियमों के नियम 82 के अंतर्गत आने वाले यानों के संबंध में फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीकरण एक वर्ष "।

13. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 93 में, -

(क) उपनियम (4) में,-

(i) खंड (i) में, " मोटर यान" शब्दों के स्थान पर "परिवहन यान " शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

" (ii) दो डैक वाले परिवहन यान की दशा में यह 4.75 मीटर से अधिक नहीं होगी ;

(iiक) ट्रैक्टर-ट्रेलर माल यान की दशा में यह 4.20 मीटर से अदिक नहीं होगी ;" ;

(ख) उपनियम (6) के स्पष्टीकरण I में, उपपैरा (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) तीन धुरी से अधिक धुरी वाले यानों की दशा में अगली धुरी संयोजन के मध्य बिन्दु और पिछली धुरी संयोजन के मध्य बिन्दु के बीच मापित दूरी ।" ।

14. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 93क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" **93 ख. पावर टिलरों की समग्र विमाएं** - (1) राइडिंग अटैचमैंट युक्त पावर टिलर की समग्र लंबाई 3.5 मीटर से अधिक नहीं होगी ।

(2) केज व्हीलर सहित राइडिंग अटैचमैंट युक्त पावर टिलर की समग्र लंबाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी ।

(3) पावर टिलर की अधिकतम समग्र ऊंचाई 2.0 मीटर से अधिक नहीं होगी ।

(4) ट्रेलर से जुड़े पावर टिलर की समग्र लंबाई 6.0 मीटर से अधिक नहीं होगी ।

(5) ट्रेलर से जुड़े पावर टिलर की अधिकतम समग्र चौड़ाई 1.7 मीटर से अधिक नहीं होगी ।

(6) ट्रेलर से जुड़े पावर टिलर की अधिकतम समग्र ऊंचाई 2.0 मीटर से अधिक नहीं होगी ।"

15. उक्त नियमों के नियम 95 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (1) कृषि ट्रैक्टर, संनिर्माण उपस्कर यान और पावर टिलर से भिन्न 1 अप्रैल, 2006 को और उसके पश्चात् विनिर्मित आयातित सभी मोटर यानों में प्रयुक्त टायर जिनमें रेडियल टायर भी सम्मिलित हैं, तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देशों के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक लागू ए आई एस : 044 (भाग 1से 3) : 2004 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करेंगे :

परन्तु यह कि 1 अप्रैल, 2006 को और उसके पश्चात् विनिर्मित या आयातित मोटर यानों के लिए टायरों का चयन और फिटमेंट, तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक दुपहिया व तिपहिया यानों की दशा में ए आई एस: 050: 2004 और अन्य मोटर यानों की दशा में ए आई एस: 051: 2004 के अनुसार होगा :

परन्तु यह कि केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे और समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण नियम 126 के प्रयोजन के लिए टायरों हेतु ए आई एस: 044: 2004 के सत्यापन के लिए परीक्षण कर सकती है ।

16. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 95क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" **95ख. पावर टिलर के लिए टायर का आकार और प्लाई रेटिंग** - टायर में टायर विनिर्माता द्वारा यथाविनिर्दिष्ट भार वहन क्षमता होनी चाहिए तथापि, पावर टिलर विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम भार, टायर विनिर्माता द्वारा अनुज्ञात भार से अधिक नहीं होगा ।

(2) पावर टिलर विनिर्माता, टायर विनिर्माता द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार सिफारिश किए गए / अधिमानित रिम आकार के टायर का ही चयन करेगा ।

टिप्पण - इस नियम के अनुपालन के लिए निम्नलिखित मानक निर्दिष्ट किए जाएंगे :-

(i) समय-समय पर यथासंशोधित आई एस : 13154 : 1991 कृषि ट्रैक्टर उपकरण और पावर टिलर के लिए टायर ;

(ii) यदि समय-समय पर यथासंशोधित आई एस : 13154 : 1991 में विशेष आकार का टायर सूचीबद्ध नहीं है तो ई सी ई, जे ए टी एम ए, ई टी आर टी ओ, टी एन आर ए, आई टी टी ए सी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक के समकक्ष कोई टायर ।" ।

17. उक्त नियमों के नियम 96 में,-

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जोगा, अर्थात् :-

"(4) 1 अप्रैल, 2006 को और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक मोटर यान में ब्रेक प्रणाली होगी जिसका कार्य निष्पादन निम्नलिखित भारतीय मानक के अनुरूप होगा :-

(i) दुपहिया और तिपहिया के लिए समय-समय पर यथा संशोधित आई एस : 14664 : 1999 ;

(ii) दुपहिया, तिपहिया, ट्रेलर, अर्ध ट्रेलर, संनिर्माण उपस्कर यान, कृषि ट्रैक्टर और पावर टिलर से भिन्न सभी मोटर यानों के लिए समय-समय पर यथासंशोधित आई एस : 11852 (भाग 1): 2001, 11852 (भाग 2): 2001, 11852 (भाग 3): 2001, 11852 (भाग 4): 2001, 11852 (भाग 5): 2001, 11852 (भाग 6): 2001, 11852 (भाग 7): 2001 और 11852 (भाग 8): 2001 :

परन्तु आई एस : 11852 : 2001 (भाग 9) के पैरा 4.2.1.1क में, ऐसे यानों के सिवाय जो एंटी लाक ब्रेकिंग प्रणाली से युक्त है, विनिर्दिष्ट स्वत: वियर समायोजन की अपेक्षा 1 अप्रैल, 2007 से ही प्रवृत्त होगी :

परन्तु यह और कि 1 अक्तूबर, 2006 को और उसके पश्चात् विनिर्मित और एंटी लाक ब्रेक प्रणाली युक्त यानों के लिए आई एस : 11852 : 2003 (भाग 9) लागू होगा ।" ।

(ख) उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (9) निम्नलिखित प्रवर्ग के यानों में आई एस : 11852 : 2003 (भाग 9) के अनुरूप एंटी लाक ब्रेक प्रणाली लगाई जाएगी :-

(i) खतरनाक माल और द्रवित पेट्रोलियम गैस की ढुलाई के लिए 1 अक्तूबर, 2006 को और उसके पश्चात् विनिर्मित ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन से भिन्न एम 2 और एम3 प्रवर्ग के यान ;

(ii) 1 अक्तूबर, 2007 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एन 3 प्रवर्ग के यान जो डबल डेकर परिवहन यान हैं ;

(iii) 1 अक्तूबर, 2007 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एन 3 प्रवर्ग के यान जिनका प्रयोग ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन के रूप में किया जाता है ;

(iv) 1 अक्तूबर, 2007 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एम 3 प्रवर्ग की बसें जो अखिल भारतीय पर्यटन परमिट पर चलती हैं ।" ।

18. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 96ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" **96घ. पावर टिलर के लिए ब्रेक प्रणाली की अपेक्षाएं** - पावर टिलर जब ट्रेलर से जुड़े हों, निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेंगे -

(i) ट्रेलर से जुड़े पावर टिलर के लिए 1.5 टन से अनधिक सकल संयोजन भार के साथ ब्रेक परीक्षण किया जाएगा जैसा कि विनिर्माता द्वारा घोषणा की गई है ;

(ii) 600 एन से अनधिक पैडल प्रयास के साथ 7.5 मीटर की रुकने की अपेक्षा की दूरी को पूरा करने के लिए 15 कि.मी. प्रति घंटे की गति पर ब्रेक परीक्षण किया जाएगा ;

(iii) पावर टिलर से जुड़े ट्रेलर में पार्किंग ब्रेक लगी होगी जो 12% ऊपरी ढलान और निचले ढलान पर संयोजन को रोक सके ।" ।

19. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 98ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" 98ग. पावर टिलर के लिए स्टियरिंग गियर - ट्रेलर के साथ जुड़े पावर टिलर का मोड़ चक्र व्यास और मोड़ निकासी चक्र व्यास जब समय-समय पर यथासंशोधित आई एस:12222:1987 के अनुसार मापा जाए, 10 मीटर से अधिक नहीं होगा ।" ।

20. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 99 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि साइडिंग अटैचमैंट युक्त पावर टिलर और ट्रेलर से जुड़ा पावर टिलर विपरीत दिशा में भी अपनी शक्ति से चलने में समर्थ होगा ।" ।

21. उक्त नियमों के नियम 101 में, -

(क) उपनियम (1) के अंत में 1 अप्रैल, 2006 से ही " मोटर साइकिलों और 500 घन सेंटीमीटर से अधिक क्षमता के इंजन वाले तिपहिया को छोड़कर" शब्दों और अंकों के स्थान पर " मोटर साइकिल" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा ।

22. उक्त नियमों के नियम 102 में 1 अप्रैल, 2006 से ही उपनियम (1) और उसके अधीन परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) सभी मोटर यानों जिनमें संनिर्माण उपस्कर यान भी सम्मिलित हैं, में दाएं मुड़ने अथवा बाएं मुड़ने के लिए संकेत, विद्युत चालित दिशा सूचक लैंप द्वारा दिए जाएंगे ।

प्रत्येक संनिर्माण उपस्कर यान इस तरह रखे और अनुरक्षित किए जाएंगे कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे, अर्थात् :-

(i) दिशा सूचक लैंप अंबर रंग की होगी जो प्रति मिनट 60 से अन्यून और 120 फ्लैश से अनधिक दर पर लाइट फ्लैश द्वारा मुड़ने के आशय की सूचना देने के लिए जलती है ;

(ii) लैंप से निकला प्रकाश जब वह प्रचालन में हो, यान के आगे और पीछे दोनों ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा ;

(iii) प्रत्येक दिशा सूचक का न्यूनतम प्रकाशित क्षेत्र 60 वर्ग सेंटीमीटर होगा :

परन्तु इस नियम में उल्लिखित कोई भी बात एल 1 प्रवर्ग की मोटर साइकिलों पर लागू नहीं होगी ।" ।

23. उक्त नियमों के नियम 103 में 1 अप्रैल, 2006 से ही उपनियम (2) में " 500 घन सेंटीमीटर से अधिक क्षमता के इंजन वाले तिपहियों और " शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

24. उक्त नियमों के नियम 104 में, -

(क) उपनियम (1) और उसके अधीन परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) तिपहिया और मोटर साइकिलों से भिन्न 1 अप्रैल, 2006 को और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक मोटर यान जिनमें ट्रेलर और अर्द्ध ट्रेलर भी सम्मिलित हैं, में उनके पीछे दो परावर्तक अर्थात् दोनों सिरों पर एक-एक परावर्तक लगाया जाएगा । प्रत्येक मोटर साइकिल में पीछे न्यूनतम एक लाल रिफ्लेक्स परावर्तक लगाया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक माल वाहन के आगे और पीछे बाडी की चौड़ाई में न्यूनतम 20 मि.मी. चौड़ा परावर्तक टेप अथवा परावर्तक पेंट लगाया/पेंट किया जाएगा ।" ;

(ख) उपनियम (2) में 1 अप्रैल, 2006 से ही " 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक की क्षमता के इंजन वाले " शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

(ग) उपनियम (3) में 1 अप्रैल, 2006 से ही " 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता पर " शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

(घ) उपनियम (4) में 1 अप्रैल, 2006 से ही " भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक आई एस: 8339:1993 " शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक " ए आई एस : 057-2005" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

25. उक्त नियमों के नियम 104क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"104ख. कृषि ट्रैक्टरों के लिए परावर्तक लगाया जाना :- (1) 1 अप्रैल, 2006 को और उसके पश्चात् से ही प्रत्येक कृषि ट्रैक्टर में पीछे दोनों ओर 7 वर्ग से.मी. से अन्यून परावर्तन क्षेत्र वाले दो गैर -त्रिकोण लाल परावर्तक लगाए जाएंगे,

(2) इस नियम के उपनियम (1) में निर्दिष्ट परावर्तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक ए आई एस: 057:2005 के अनुरूप रिफ्लैक्स किस्म के होंगे ।"

"104ग. पावर टिलर पर परावर्तक लगाया जाना :-(1) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही प्रत्येक पावर टिलर पर यान के अगले भाग में दोनों ओर 7 वर्ग सें.मी. से अन्यून परावर्तन क्षेत्र वाले दो श्वेत रिफ्लैक्स परावर्तक लगाए जाएंगे और जो रात्रि के समय आगे से आने वाले यानों को दिखाई देंगे, जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक ए आई एस: 057:2005 के अनुरूप होंगे ;

(2) पावर टिलर से जुड़े ट्रेलरों की दशा में भूमि से 1500 मि.मी. से अनधिक ऊंचाई पर दाएं और बाएं सिरे पर 7 वर्ग सें.मी. से अन्यून परावर्तन क्षेत्र वाले दो लाल परावर्तक लगाए जाएंगे ।" ।

26. 1 अप्रैल, 2006 से ही उक्त नियमों के नियम 105 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (1) इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक मोटर यान को, जिसे सूर्यास्त के पश्चात् आधा घंटे की अवधि के भीतर और ऐसे किसी समय जब पर्याप्त प्रकाश न हो, सार्वजनिक स्थल पर चलाते समय निम्नलिखित लैंप जलाई जाएगी जिससे वाहन से एक सौ पचपन मी. की दूरी पर सड़क पर व्यक्तियों और यानों को स्पष्टत: देखा जा सकेगा :-

(क) तिपहिया, अशक्त- तिपहिया यानों और मोटर साइकिलों से भिन्न अन्य यानों की दशा में दो अथवा चार हैड लैंप ;

(ख) मोटर साइकिल, तिपहिया यानों और अशक्त- तिपहिया यानों की दशा में एक अथवा दो हैड लैंप ;

(ग) मोटर साइकिल से संबद्ध कार की दशा में एक लैंप जो आगे श्वेत प्रकाश दर्शाए ;

(घ) संनिर्माण उपस्कर यान की दशा में आगे की एक सौ पचपन मीटर की दूरी से दिखने वाली आगे की श्वेत प्रकाश को दर्शाते हुए दो या चार लैंप ।"

27. उक्त नियमों के नियम 109 में 1 अप्रैल, 2006 से ही " 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक की क्षमता के इंजन वाले तिपहिया यानों " शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

28. उक्त नियमों के नियम 118 में 1 अप्रैल, 2006 से ही,-

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

" तिपहियों पर लैंप" ;

(ख) " आटो रिक्शा और 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक की क्षमता के इंजन वाले तिपहिए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "तिपहिया" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" परन्तु यह और कि एक हैड लैंप लगाया जाना 1400 मि.मी. से अनधिक समग्र चौड़ाई वाले तिपहिया की दशा में ही लागू होगा और ऐसे मामलों में साइड की लाइटें अम्बर रंग की होंगी ।" ।

29. उक्त नियमों के नियम 115क में, -

(क) हाशिए के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"डीजल इंजनों से चलने वाले कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलरों और संनिर्माण उपस्कर यानों से धूम्र और वाष्प का उत्सर्जन" ;

(ख) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (5) विनिर्माता द्वारा डीजल इंजन से चलने वाले प्रत्येक कृषि ट्रैक्टर और पावर टिलर का विनिर्माण और उत्पादन इस तरह किया जाएगा कि वह दृष्टव्य प्रदूषकों के अतिरिक्त उसके द्वारा उत्सर्जित गैसीय प्रदूषकों के निम्नलिखित मानकों का अनुपालन करे जैसा कि उपनियम (2) में उपबंध है, जब आई एस ओ 8178-4 'सी 1' 8 मॉड चक्र में विहित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण किया जाए, अर्थात् :-

परीक्षण के दौरान उत्सर्जित ग्राम प्रति किलोवाट घंटा में कार्बन मोनोक्साइड (सी ओ), हाइड्रोकार्बन (एच सी) नाइट्रोजन आक्साइड (एन ओ एक्स) और पार्टिकुलेट मैटर्स (पी एम) का औसत भार टाइप अनुमोदन (टी.ए) और उत्पादन परीक्षणों की अनुरूपता (सी.ओ.पी) के लिए निम्नलिखित सारणी में दी गई सीमाओं से अधिक नहीं होगा, अर्थात् :-

सारणी

(1)	भारत (ट्रेम)स्टेज II मानक (2)	भारत (ट्रेम)स्टेज III मानक (3)
	टी ए = सी ओ पी	टी ए = सी ओ पी
कार्बन मोनोक्साइड (सी ओ) का भार	9.0	5.5
हाइड्रोकार्बन (एच सी) का भार	15.0	9.5
नाइट्रोजन आक्साइड (एन ओ एक्स) का भार	1.0	0.8

टिप्पण :-

(1) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित मानदंड कृषि ट्रैक्टरों के लिए जो 1 जून, 2003 हैं, पावर टिलरों के लिए 1 अक्तूबर, 2006 से लागू होंगे ।

(2) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित मानक कृषि ट्रैक्टरों के लिए 1 अक्तूबर, 2005 से और पावर टिलरों के लिए 1 अप्रैल, 2008 से लागू होंगे ।"

30. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 115ख में, -

(क) भाग क की मद (I) में ,खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) नए पेट्रोल यानों पर यान विनिर्माताओं द्वारा सीएनजी फिटमेंट की दशा में, यान विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित प्रत्येक माडल नए यानों के प्रवर्ग के लिए

इसके उपयोग के स्थान के संबंध में, प्रवर्ग के लिए यथा लागू पुंज उत्सर्जन मानकों पर अभिभावी के अनुसार टाइप अनुमोदन होगा;" ;

(ख) भाग क के मद (II) के खंड (क) निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए चौपहिया यानों की दशा में न्यूनतम भारत स्टेज-III उत्सर्जन मानकों के अधीन रहते हुए यथा लागू टाइप अनुमोदन मानकों और दोपहिया या तिपहिया यानों के लिए भारत स्टेज-II उत्सर्जन मानक ।" ।

(ग) भाग ख के मद (I) के खंड (क) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) नए डीजल यानों पर यान विनिर्माताओं द्वारा सीएनजी फिटमेंट्स की दशा में; यान विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित प्रत्येक माडल नए यानों के प्रवर्ग के लिए इसके उपयोग के स्थान के संबंध में प्रवर्ग के लिए यथा लागू बड़ी मात्रा में उत्सर्जन मानकों के अभिभावी के अनुसार टाइप अनुमोदित होगा;" ।

(घ) भाग ख की मद (II) में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) जब प्रयोगशील यान को सी एन जी पर प्रचलित करने के लिए संपरिवर्तित किया जाता है तो वह उनके विनिर्माण के पश्चात्वर्ती वर्ष में डीजल यानों के अनुमोदित निम्नलिखित न्यूनतम मानदंड के अधीन रखते हुए पूरा करेगा ।"

(i) 31 मार्च, 2000 तक विनिर्मित यानों के लिए टाइप अनुमोदन मानक इन नियमों के अधीन यथा लागू भारत-2000 (भारत स्टेज-I) मानकों के तुल्य है ;

(ii) 1 अप्रैल, 2000 या इसके पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए यथा अनुमोदन मानक भारत स्टेज-II मानकों, ऐसे भारत स्टेज-II मानकों की विधिमान्यता तक, ये यथा निर्दिष्ट ;

(iii) 1 अप्रैल, 2005 तक और उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए चौपहिए यानों की दशा में न्यूनतम भारत स्टेज-III उत्सर्जन मानकों के अधीन रहते हुए यथा लागू टाइप अनुमोदन मानक और दोपहिया और तिपहिया यानों के लिए इन मानकों की विधिमान्यता तक भारत स्टेज II उत्सर्जन मानक;" ;

(ङ) भाग ग में, तालिका के ऊपर के पैरे के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"ग. प्रयोगशील में डीजल इंजन का नए सीएनजी इंजन द्वारा प्रतिस्थापन,- सम्पीडित प्राकृतिक गैस इंजन द्वारा प्रतिस्थापित किए गए डीजल इंजन वाले प्रयोगशील यान के टाइप अनुमोदन के लिए यह नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित परीक्षणों के अध्यधीन इसके उपयोग के स्थान के संबंध में यानों के प्रवर्ग को यथा लागू उत्सर्जन मामलों के अभिभावी होने की पूर्ति करेगा ।"

(च) भाग च में टिप्पण 7 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 7. प्रयोगशील गैसोलिन यानों में कन्वर्जन किट अथवा संपरिवर्तित डीजल यानों की दशा में ऐसे यान जो यान के विनिर्माण के वर्ष के बीच विनिर्मित किए गए हैं और जिनमें ऐसे किट का परीक्षण किया गया है, परीक्षण अभिकरणों द्वारा जारी टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत होंगे और ऐसे यानों के प्रवर्ग के लिए विहित लागू मानकों की विधि मान्यता की तारीख़ नियत 115ख के भाग क की मद (II) के खंड (क) के अनुसार परीक्षण अभिकरणों से माडल और उनके डीजल यानों के संपरिवर्ती तथा ऐसे

गैसोलिन यानों क्षमतारेंज जिस पर संपरिवर्तन के लिए प्रमाण पर विधिमान्य होगा, विशिष्ट रूप से उपदर्शित करने की अपेक्षा होगी ।" ।

31. उक्त नियमों के नियम 115ग में, -

(क) उप नियम (3) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से एक वर्ष पश्चात् ही मानकों के अध्यधीन एलपीजी किट लगे प्रयोगशील यान ऐसे यानों के तत्स्थानी निर्माण वर्ष में यथा लागू गैसोलिन यानों के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट टाइप अनुमोदन उत्सर्जन मानकों को निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों के धीन रहते हुए पूरा करेंगे :

(i) 31 मार्च, 2000 तक विनिर्मित यानों के लिए टाइप अनुमोदन मानक इन नियमों के अधीन यथा लागू इंडिया - 2000 (इंडिया स्टेज-I) के समतुल्य ;

(ii) 1 अप्रैल, 2000 के पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए भारत स्टेज-II मानक में यथा विनिर्दिष्ट टाइप अनुमोदन मानक, ऐसे भारत स्टेज-II मानकों की विधिमान्यता तक ;

(iii) 1 अप्रैल, 2005 के पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए चौपहिया यानों की दशा में भारत स्टेज-III उत्सर्जन मानकों के न्यूनतम के अध्यधीन यथा लागू टाइप अनुमोदन मानक और दुपहिया अथवा तिपहिया यानों के लिए भारत स्टेज-II उत्सर्जन मानक :

परन्तु मॉडल/कन्वर्जन किट/अनुमोदित टाइप इंजन प्रतिस्थापन और इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व नियम 115ग के अधीन प्रमाणित (अधिसूचना सं. सा.का.नि. 284 (अ) तारीख़ 24 अप्रैल, 2001 के अनुसार) यानों के संबंध में ऐसे प्रमाण पत्र, विनिर्दिष्ट विधिमान्यता की

अवधि के होते हुए भी केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष के लिए विधिमान्य होंगे । ऐसे प्रमाणपत्रों का इन नियमों के अनुसार परीक्षण अभिकरणों से पुर्नविधिमान्यकरण आवश्यक होगा।" ।

परन्तु यह और कि प्रोस्पेक्टीव किट विनिर्माता/रीट्रोफिटर/संपरिवर्तक नए नियमों की और इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व भी नए नियमों के अनुसार परीक्षण अभिकरणों का टाइप अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मुक्त होंगे ।"

(ख) उप नियम (5) का लोप किया जाएगा ।

(ग) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन नियम, 2005 के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उप नियम (6) में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(i) नए डीजल यानों पर यान विनिर्माताओं द्वारा एल पी जी फिटमेंट्स की दशा में, यान विनिर्माताओं द्वारा निर्मित प्रत्येक मॉडल नए यानों के प्रवर्ग के लिए इनके उपयोग के स्थान के संबंध में यथा लागू बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन मानकों के अभिभावी होने के अनुसार टाइप अनुमोदित होगा ;" ;

(घ) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उप नियम (7) में, तालिका के ऊपर पैरे के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(7) प्रयोगशील डीजल इंजन का नए एलपीजी इंजन द्वारा प्रतिस्थापन :- ऐसे प्रयोगशील यान टाइप अनुमोदन के लिए जिनमें डीजल इंजन तरल पैट्रोलियम गैस इंजन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यानों के प्रवर्ग को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित परीक्षणों के अध्यधीन इनके उपयोग

स्थान के संबंध में यथा लागू उत्सर्जन मानकों के अभिभावी होने की पूर्ति करेगा ।"

(ङ) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश्चात् से ही उप नियम (10) में टिप्पण 5 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(6) प्रयोगशील गैसोलिन यानों में कन्वर्जन किट अथवा प्रयोगशील डीजल इंजन का नए एलपीजी इंजन द्वारा प्रतिथापन की दशा में यान के विनिर्माण के एक वर्ष के भीतर विनिर्मित ऐसे यानों जिसमें ऐसे किट का परीक्षण किया गया और नियम 115ग के उप नियम (3) की खंड (क) के अनुसार यानों के ऐसे प्रवर्ग के लिए विहित किए गए मानकों की विधिमान्यता की तारीख़ के अंतर्गत होगी । परीक्षण अभिकरणों को डीजल यानों और गैसोलिन यानों की जांच एवं के लिए मॉडल और उनके रूपभेद जिन पर प्रमाण पत्र विनिर्दिष्ट होगा, का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख करना अपेक्षित होगा ।"

32. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से एक मास पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 119 में, -

(क) उप नियम (1) में "प्रत्येक मोटर यान जिसमें संनिर्माण उपस्कर यान और कृषि ट्रैक्टर सम्मिलित हैं" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक मोटर यान, कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और संनिर्माण उपस्कर यान" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उप नियम (1) के अधीन परंतुक में " हॉर्न लगाने की आवश्यकता" शब्दों के स्थान पर " मोटर यान के लिए हॉर्न लगाने की आवश्यकता" शब्द रखे जाएंगे ।

33. उक्त नियमों के नियम 120 में, -

(क) उप नियम (2) में, अन्त में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु 1 अप्रैल 2006 से ही जहां यानों के लिए ध्वनि के विभिन्न स्तर विहित हैं, वहां ऐसे प्रवर्ग के यानों के लिए विहित न्यूनतम सीमाएं बैटरी चालित यानों के लिए लागू होंगी ।"

(ख) 1 अप्रैल, 2006 से एक वर्ष पश्चात् से ही उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4) राइडिंग अटैचमैंट युक्त पावर टिलर अथवा ट्रेलर से जुड़े पावर टिलर की दशा में जब ध्वनि स्तर का समय समय पर यथा संशोधित आई एस : 12180: 2000 के अनुसार परीक्षण किया जाए तो यह साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति की स्थिति में 88 डी बी (ए) और प्रचालक के कर्ण स्तर पर 98 डी बी (ए) से अधिक नहीं होगा ।" ।

34. 1 अप्रैल, 2006 से ही उक्त नियमों के नियम 122 में, -

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"चेसिस संख्या और इंजन संख्या और बैटरी प्रचालित यानों की दशा में मोटर संख्या और विनिर्माण के मास का उत्कीर्णन" ;

(ख) उप नियम (1) के परंतुक में " इंजन संख्या, चेसिस संख्या और विनिर्माण मास के साथ साथ" शब्दों के स्थान पर " इंजन संख्या/मोटर संख्या, चेसिस संख्या और विनिर्माण मास" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

35. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के प्रारम्भ की तारीख़ से छह मास पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 124 में उप नियम (1क) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कि जाएंगे, अर्थात् :-

" परन्तु यह कि यान विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि विशेष प्रयोजन यानों अर्थात् ट्रैक्टरों और टिपरों को छोड़कर एन 2, एन 3 प्रवर्ग के यानों और उनके ट्रेलरों में अपने यहां गतिशील अवस्था में पश्च अंडर सुरक्षा यंत्र और अपनी फैक्टरी अथवा अपने डीलरों के यहां गतिशील अवस्था में पश्च सुरक्षा यंत्र लगाएंगे । जिन यानों में ऐसे यंत्र नहीं लगे होंगे, उनकी इन नियमों के अधीन उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी । यदि पश्च अंडर रन संरक्षा यंत्र की दशा में उनके द्वारा किट नहीं लगाई गई है तो वे आवश्यक किटों की आपूर्ति भी सुनिश्चित करेंगे:

परन्तु यह और भी कि चल अवस्था में पश्च सुरक्षा यंत्र पर पिछले पूर्ण भाग में पीली और श्वेत जेब्रा पट्टियां होंगी ।"

36. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख़ से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 124क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" **124ख. पावर टिलर के लिए पुर्जों के सुरक्षा मानक** .- (1) निम्नलिखित के लिए पावर टिलर पर प्रयुक्त लैम्प/बल्ब :

(क) हैड लाइट मुख्य और डिप

(ख) पार्किंग लाइट

(ग) दिशा सूचक लैम्प

(घ) टेल लैम्प

(ङ) रिवर्सिंग लैम्प

(च) स्टॉप लैम्प

(छ) पश्च रजिस्ट्रेशन चिह्न प्रकाश लैम्प

तत्स्थानी बी आई एस के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक समय समय पर यथा संशोधित ए आई एस: 034: 2004 के अनुसार होंगी ।

(2) प्रकाश और संकेत तंत्र तत्स्थानी बी आई एस के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक समय समय पर यथा संशोधित ए आई एस : 062 : 2004 के अनुसार होगा ।

(3) पावर टिलर के प्रचालक की सुरक्षा और सुविधा समय समय पर यथा संशोधित आई एस : 12239 (भाग-3) : 1996 के अनुसार होंगी ।

(4) विनिर्माता द्वारा घोषित संयोजन भार के अधीन ट्रेलर से जुड़े पावर टिलर की ग्रेड क्षमता समय समय पर यथा संशोधित आई एस : 9980 : 1988 के अनुसार होगी ।

37. उक्त नियमों के नियम 125 के उप नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :-

" (6) 1 अक्तूबर, 2007 से ही एम 2, एम 3, एन 1, एन 2 और एन 3 प्रवर्ग के यानों के लिए सीट, उनकी एंकर व्यवस्था और उनका सिर प्रतिरोध तत्स्थानी बी आई एस भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक समय समय पर यथा संशोधित ए आई एस : 023 : 2005 के अनुसार होगा।"

38. उक्त नियमों के नियम 125क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

" 125ख. ऐसे परिवहन यानों के लिए विशेष अपेक्षाएं जो पर्वतीय मार्गों पर चलाए जाते हैं :-

(1) 1 अक्तूबर, 2006 से ही पर्वतीय प्रदेशों में ऐसे मार्गों अथवा क्षेत्रों में चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित ऐसे चौपहिया परिवहन यानों में फॉग लैम्प, पावर स्टियरिंग, डीफॉगिंग और डीमिस्टिंग प्रणाली लगाई जाएंगी और यह कि राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए छह मास का चलाने का समय उपलब्ध कराएगी ।"

(2) 1 अक्तूबर, 2007 से ही पहाड़ी क्षेत्रों में अखिल भारतीय पर्यटन परमिट पर चलने वाली एम-2 प्रवर्ग की सभी बसों में एंटी लाक ब्रेक प्रणाली प्रारंभ की जाएगी ।

125ग. बॉडी निर्माण और अनुमोदन :- (1) अधिसूचित किए जाने की तारीख़ से ही बसों के बॉडी निर्माण का परीक्षण और अनुमोदन तत्स्थानी बी आई एस भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक उल्लिखित यानों के लिए समय समय पर यथा संशोधित ए आई एस:052 : 2001 के अनुसार होगा ।

(2) स्कूल बसों के बॉडी निर्माण का परीक्षण और अनुमोदन तत्स्थानी बी आई एस भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक उसमें उल्लिखित यानों के लिए समय समय पर यथा संशोधित ए आई एस:063 : 2005 के अनुसार होगा

39. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से एक वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 128 में उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (4) आपात निकास - पर्यटन यान में उपलब्ध आपात निकास निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा, अर्थात् :-

(i) पर्यटन यान के भीतरी और बाहरी ओर स्पष्ट अक्षरों में 'आपात निकास' लिखा होगा ;

(ii) यह इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि पर्यटन यान के भीतरी और बाहरी दोनों ओर से खुले ;

(iii) उसे बंद करने का तंत्र लगा होगा जिसे आसानी से मुक्त किया जा सके किन्तु वह इस तरह बना होगा कि दुर्घटना की दशा में सुरक्षा प्रदान करे ;

(iv) यान के बाहर भूमि पर खड़े सामान्य लम्बाई के व्यक्ति आसानी से उस तक पहुंच सकें ;

(v) यात्रियों के लिए सुगम्य हो ;

(vi) इस तरह स्थित हो कि यान में स्थित कोई सीट अथवा अन्य वस्तु आपात दरवाजे के मार्ग को बाधित न करे ;

(vii) यान के पिछली ओर अथवा दायीं ओर स्थित हो ;

(viii) आपातकालीन निकासी टूटनीय शीशे की खिड़की के रूप में उपलब्ध कराई जा सकेगी । ऐसे मामलों में, कोई समुचित युक्ति आपातकाल की दशा में शीशे को तोड़कर खोलने के लिए सुविधाजनक स्थान पर लगाई जाएगी ।"

40. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से दो वर्ष पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 128 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" 128क. एम 3 प्रवर्ग के यानों के लिए विशेष उपबंध --

नियम 128क के उप नियम 4 के उपबंध एम 3 प्रवर्ग के सभी यानों पर लागू होंगे ।" ।

41. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से छह मास पश्चात् से ही उक्त नियमों के नियम 138 के उप नियम (4) में -

(क) खंड (ग) में अन्त में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि इसके अतिरिक्त एम3 और एन3 के प्रवर्ग के यानों में भी यान के आगे और पीछे समय समय पर यथा संशोधित ए आई एसः 022:2001, उक्त मानक में उपाबंध-4 के खंड 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 8.1.2 और 5.0, 6.0, 11.0 में, विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का वर्णन करते हुए, के अनुपालन करने में पश्च परावर्तन त्रिकोण लगाना अपेक्षित होगा । यान के आगे लगाए गए त्रिकोण का रंग सफ़ेद और पीछे लगाए गए त्रिकोण का रंग लाल होगा । आगे और पीछे दोनों त्रिकोणों की अवस्थिति धरातल से अधिमानतः यान के केन्द्र पर, कम से कम एक मीटर ऊपर होगी । "श्वेत रंग चेतावनी त्रिकोण के प्रयोग के लिए जहां कहीं भी ए आई एस : 022:2001 में लागू हो, 'लाल' शब्द 'श्वेत' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । श्वेत पश्च परावर्तन भाग के रंग की अपेक्षाएं ए आई एस : 057 के खंड 8.5 के अनुसार होंगी और श्वेत प्रतिदीप्ति सामग्री आई एस ओ : 7591:82 (ई) के खंड 7.1 के अनुसार होंगी ।"

(ख) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(च) दुपहिया की ख़रीद के समय दुपहिया विनिर्माता बी आई एस द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन विहित विनिर्देश के अनुरूप सुरक्षा हैड गियर प्रदान करेगा ;

परन्तु ये शर्तें धारा 129 और संबद्ध राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार छूट प्राप्त प्रवर्ग के व्यक्तियों को लागू नहीं होंगी ।"

42. केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से छह मास के पश्चात् से ही प्ररूप 20, 21,22, 22क,23, 23क, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 41, 42, 43, 46, 47, 51 और 54 में आगे वाले "इंजन संख्या" शब्दों के स्थान पर "इंजन संख्या या बैटरी चालित यानों की दशा में मोटर संख्या" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आरटी-11028/3/2004-एमवीएल]
एस. के. मिश्र, निदेशक (सड़क परिवहन)

टिप्पण :- मूल नियम सं.सा.का.नि. 590 (अ), तारीख़ 2 जून, 1998 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और सा.का.नि. 349 (अ), तारीख़ 1 जून, 2005 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।